


16/20


प्रार्थी/वकील व एक प्रार्थना पत्र  
 अर्ज विलुप्त/अप्रार्थीगण  
 के पेश किया गया जो उक्त रिजिस्टर  
 किया गया  
 अर्ज/अप्रार्थीगण/प्रार्थना पत्र की  
 फाईल जारी रखने की जाकर फावली  
 दिनांक 24/7/20 को पेश हो।

MY  
 3/7/20

  
**सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी, बावडी**


9/20

केविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार के  
 निर्देशों की पालना में कोर्ट कार्यवाही स्थगित  
 रखी गई थी जिसे राज्य सरकार के मार्गदर्शन  
 के बाद पुनः जारी की जाकर फावली आईन्दा  
 दिनांक 20/10/2020 को पेश हो।

  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी, बावडी


10/2020

फावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।  
 वहीलदार बावडी से मौका जांच रिपोर्ट  
 अप्राप्त। फावली वास्तु इंजेक्टर मौका  
 जांच रिपोर्ट दिनांक 10/11/2020 को पेश  
 हो।

  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी, बावडी

11/2020

फावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।  
 वहीलदार बावडी से मौका जांच रिपोर्ट  
 प्राप्त हुई जो शामिल मिसल हो। फावली  
 वास्तु बहल एवं आफिशार्थ उपस्थित दिनांक  
 8/12/2020 को पेश हो।

  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी, बावडी



तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

08/12/2020 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि कायदस्त आराजी ग्राम सेवा गांव के खसरा नं. 126 खसरा 15.3548 हकियत क्रिस वारानी क्लिप रेकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। जबकि पूर्व में प्रार्थी का खसरा नं. 126/4 था लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा भुटिका गलत तरीक कर दी गई। तथा खसरा नं. 126/4 का खसरा नं. 126 में विलय कर दिया। तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर तस्मीम दुस्ती हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। कायद अवलोकन एवं मनन के प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए एवं तस्मीम द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सेवा गांव के खसरा नं. 126 में से बिन्दु A-B-C-D अनुसार खसरा नं. 126/4 को खसरा अनुसार एवं मौका अनुसार तस्मीम का तहसीलदार बावड़ी को भौकेशा किया जाता है। तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट इस आदेश को अंगु रहेगी। तहसीलदार बावड़ी को मौका जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व नक्शा एवं राजस्व रेकॉर्ड में तस्मीम करने को भौकेशा दिया जाता है।

पत्रावली फैसल शमार होकर नम्बर से कम होकर काबिल रहते हैं। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं  
उपस्थित अधिकारी, बावड़ी